<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 288/2025

मनोहर पुत्र श्री दयालाराम खारवाल, निवासी बास बिसना, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।
——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।
——रेस्पोडेन्ट

———

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 25.06.2025 उनवानी सरकार बनाम देशराज, मनोहर मुदकमा संख्या 100/2025 अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :—
1. श्री अरविन्द कुमार सैनी , एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

<u>आदेश</u>

दिनांक 27.04.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 25.06.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नलिखित आधारों सहित सेवामे पेश है कि अधीनस्थ अदालत का निर्णय दिनांक 25.06.2025 विरुद्ध विधि तथा खिलाफ पत्रावली है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 25.06.2025 पारित किया है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचन किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 25.06.2025 पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 25.06.2025 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 25.06.2025 में कहीं पर भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थी के जवाब का कोई विवरण अंकित नहीं है उक्तानुसार स्पष्ट है कि योग्य अदालत मातहत ने निर्णय बिना माईण्ड अप्लाई किये सरसरी रूप से पारित किया है। अपीलार्थी के पूर्वज दयालाराम को प्रकरण में अंकित भूमि भूमिहीन होने के आधार पर अलॉट हुई थी तथा उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम किया गया था जो कि द्वितीय बन्दोबस्त कार्यवाही के समय तक अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम रहा था तथा उक्त खसरा नम्बर के तत्कालीन खसरा नम्बर में प्रार्थी के पूर्वजों को कदीमी समय से काबिज मानकर बेदखली की कार्यवाही ड्रॉप की गई थी तथा नियमन बाबत सिफारिश की गई थी। इस प्रकार जब उक्त भूमि बाबत पूर्व में अपीलार्थी के पूर्वजों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही ड्रोप हो चुकी है तथा न्यायालय के उक्त आदेश के विपरित किसी भी न्यायालय में कोई अपील वगैरह भी प्रस्तुत नहीं गई थी। उक्तानुसार तथाकथित निर्णय अन्तिम था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के विपरित आलौच्य निर्णय पारित किया है जो किसी भी रूप में पोषणीय नहीं है। अदालत मातहत के निर्णय में अंकितानुसार भूमि खसरा न. 274 पर संवत 2081 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है उपरोक्त कथन सर्वथा असत्य व झूठ है क्योंकि उपरोक्त भूमि की किस्म आवासीय व चाही है। उपरोक्त भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर अपीलार्थी तथा उसका परिवार पूर्वजों के समय से ही आबाद है जो पीढी दर पीढी रहवास के काम आती चली आ रही है जिस पर अपीलार्थी का कब्जा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के लागू होने से पूर्व का है उक्तानुसार सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.06.2025 विधि विरुद्ध है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है। पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार कर अपीलार्थी के विपरीत झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया है उक्तानुसार बिना अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अगर अपीलान्ट का अतिक्रमण माना भी जाता है तो राजस्थान सरकार के आदेशानुसार नियमन की कार्यवाही बाबत् अपीलान्ट नियमानुसार सनद शुल्क व भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है इसलिए राशि ली जाकर उक्त भूमि का नियमन किया जाना प्रार्थनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.05.2025 के अनुसार प्रकरण को न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से तहसीलदार गुढ़ागौड़जी के न्यायालय में अन्तरित कर दिया गया था लेकिन इसके बावजूद दिनांक 25.06.2025 को आक्षेपित आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा पारित किया गया है उक्तानुसार स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश बिना कानूनी माईण्ड अप्लाई किये सरसरी तौर पर पारित किया गया है। धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकरण में तथाकथित अतिक्रमी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पहले आदेश/निर्णय पारित किया जाता है उसके बाद भूमि की कुर्की अथवा निलामी का आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 25.06.2025 को अन्तिम निर्णय पारित करने से पूर्व ही तथाकथित अतिक्रमण की भूमि पर अवस्थित सम्पदा की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण की गई है उक्तानुसार स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 25.06.2025 उनवानी सरकार बनाम देशराज, मनोहर मुकदमा संख्या 100/2025 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमान् न्याय हिम में एवं अपीलार्थी के पक्ष में वह भी पारित करने की कृपा करावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अदालत का निर्णय दिनांक 25.06.2025 विरुद्ध विधि तथा खिलाफ पत्रावली है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 25.06.2025 पारित किया है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचन किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 25.06.2025 पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 25.06.2025 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 25.06.2025 में कहीं पर भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थी के जवाब का कोई विवरण अंकित नहीं है उक्तानुसार स्पष्ट है कि योग्य अदालत मातहत ने निर्णय बिना माईण्ड अप्लाई किये सरसरी रूप से पारित किया है। अपीलार्थी के पूर्वज दयालाराम को प्रकरण में अंकित भूमि भूमिहीन होने के आधार पर अलॉट हुई थी तथा उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम किया गया था जो कि द्वितीय बन्दोबस्त कार्यवाही के समय तक अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम रहा था तथा उक्त खसरा नम्बर के तत्कालीन खसरा नम्बर में प्रार्थी के पूर्वजों को कदीमी समय से काबिज मानकर बेदखली की कार्यवाही ड्रॉप की गई थी तथा नियमन बाबत सिफारिश की गई थी। इस प्रकार जब उक्त भूमि बाबत पूर्व में अपीलार्थी के पूर्वजों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही ड्रोप हो चुकी है तथा न्यायालय के उक्त आदेश के विपरित किसी भी न्यायालय में कोई अपील वगैरह भी प्रस्तुत नहीं गई थी। उक्तानुसार तथाकथित निर्णय अन्तिम था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के विपरित आलौच्य निर्णय पारित किया है जो किसी भी रूप में पोषणीय नहीं है। अदालत मातहत के निर्णय में अंकितानुसार भूमि खसरा न. 274 पर संवत 2081 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है उपरोक्त कथन सर्वथा असत्य व झूठ है क्योंकि उपरोक्त भूमि की किस्म आवासीय व चाही है। उपरोक्त भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर अपीलार्थी तथा उसका परिवार पूर्वजों के समय से ही आबाद है जो पीढी दर पीढी रहवास के काम आती चली आ रही है जिस पर अपीलार्थी का कब्जा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के लागू होने से पूर्व का है उक्तानुसार सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.06.2025 विधि विरुद्ध है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है। पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मिलकर रिपोर्ट तैयार कर अपीलार्थी के विपरीत झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया है उक्तानुसार बिना अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अगर अपीलान्ट का अतिक्रमण माना भी जाता है तो राजस्थान सरकार के आदेशानुसार नियमन की कार्यवाही बाबत् अपीलान्ट नियमानुसार सनद शुल्क व भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है इसलिए राशि ली जाकर उक्त भूमि का नियमन किया जाना प्रार्थनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.05.2025 के अनुसार प्रकरण को न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से तहसीलदार गुढ़ागौड़जी के न्यायालय में अन्तरित कर दिया गया था लेकिन इसके बावजूद दिनांक 25.06.2025 को आक्षेपित आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा पारित किया गया है उक्तानुसार स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश बिना कानूनी माईण्ड अप्लाई किये सरसरी तौर पर पारित किया गया है। धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकरण में तथाकथित अतिक्रमी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पहले आदेश/निर्णय पारित किया जाता है उसके बाद भूमि की कुर्की अथवा निलामी का आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 25.06.2025 को अन्तिम निर्णय पारित करने से पूर्व ही तथाकथित अतिक्रमण की भूमि पर अवस्थित सम्पदा की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण की गई है उक्तानुसार स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरुद्ध है। अतः अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 25.06.2025 उनवानी सरकार बनाम देशराज, मनोहर मुकदमा संख्या 100/2025 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमान् न्याय हिम में एवं अपीलार्थी के पक्ष में वह भी पारित करने की कृपा करावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम बास बिसना स्थित भूमि ख0न0 274 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नदी मे से 0.42 है0 भूमि पर फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन नदी की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम बास बिसना स्थित भूमि ख0न0 274 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नदी मे से 0.42 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अदालत मातहत ने प्रकरण में दिनांक 15.05.2025 की ऑडरसीट में दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित होना को कहा गया। दिनांक 19.05.2025 को कोई कार्यवाही नहीं की गई और दिनांक 25.06.2025 को एक पक्षीय आदेश कर दिया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 25.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः आदेश जारी करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं